

मध्यप्रदेश विधान सभा

आगस्त - सितम्बर, 2001 सत्र

विनिक विधार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 28 अगस्त, 2001 (भाद्र 6, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्रीमती चमेली बाई सगर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (2) श्री कुवर सिंह मंडलोई, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा; तथा
- (3) श्री सुरदेव शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर, भूपेन्द्र सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिला विकासपालय में आयोजित नेत्र शिविर में ऑपरेशन के दौरान कई मरीजों के नेत्रों की रोशनी चली जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, सुनील नाथक, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, पञ्चा जिले के ग्राम हथकुड़ी के सरपंच सहित चार लोगों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विधेयक कार्य

निधारित समय
1 घन्टा
(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिवाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा
30 मि.
(2) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 13 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री हरीशकर जायसवाल (हरि भेदा), नरेन्द्र बिरथरे, सुनील नाथक, भूपेन्द्र सिंह, अनुप मिश्र, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा तथा कुवर विजय शाह, सदस्यागण, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक : 27 अगस्त, 2001

डॉ. प. के. पायासी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.